निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 149 / 2020

तारीख दायरा 17.07.2020

उनवान

हनुमान सिंह उर्फ गोपाल सिंह आयु 23 वर्ष पुत्र नंदसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ठीमली तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– वादी

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय, सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर टी एक्ट

उपस्थित :–

श्री ओम प्रकाश शर्मा (वकील वादी)

दिनॉक :– 14.12.2020

सरकार पैरोकार (प्रतिवादी)

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि माल ग्राम ठीमली प[illegible] तह. सांगोद के माल में खाता सं. नई 15 पुराना 13 की खसरा न. 188 रकबा 0.30 है[illegible] किस्म चाही तृतीय खसरा न. 189 की 0.12है. किस्म चाही तृतीय कुल 2 किता [illegible] 9.24 रूपये की आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2073–76 में नाबालिग गोपाल सिंह पुत्र नंदसिं[illegible]क वली नंदसिंह जाति राजपूत सा. ठीमली के नाम दर्ज रेकार्ड है। वर्तमान में उपस्थित आराजी पर वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

हनुमान सिंह उर्फ गोपाल सिंह पुत्र नंदसिंह स्वयं ही काबिज काश्त होकर उक्त आराजियात का उपयोग उपभोग कर रहा है।

उक्त आराजी पूर्व में खातेदार आनंदी लाल व मोहनलाल पुत्र श्री मोत्या, द्वारकीबाई व कन्याबाई पुत्रियां श्री मोत्या व धन्नीबाई बेवा श्री मोत्या जाति खारवाल निवासी ग्राम बम्बूलिया कटारिया तह. सांगोद जिला कोटा के खातेदार एवं कब्जे काश्त की रही है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी को सन 2000 अर्थात दिनांक 27.6.2000 को पूर्व खातेदार द्वारा रजिस्टर विक्रय पत्र द्वारा वादी को विक्रय की थी। उक्त आराजी वास्तविकता में तो वादी के पिता श्री नंदसिंह द्वारा ही क्रय की थी एवं उक्त आराजी की रजिस्ट्री बेचान नाम अपने नाबालिग पुत्र गोपाल सिंह के नाम निष्पादित करवाया था। वादी को बाल्यकाल में गोपाल सिंह के नाम से ही पुकारते थे इसलिए वादी के पिता द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी की रजिस्ट्री कराते समय वादी के वास्तविक राजकीय अभिलेखों में दर्जनामा हनुमान सिंह के नाम से रजिस्ट्री नहीं करवाकर केवल सहवन से बोलते नाम से ही वादग्रस्त आराजी की रजिस्ट्री करवाली एवं उक्त रजिस्टर्ड बैनामें के आधार पर वादी को बोलते नाम गोपाल सिंह आत्मज नंदसिंह का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गया जो उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में भी गोपाल सिंह पुत्र नंदसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ठीमली दर्ज रिकार्ड है।

वादी का वास्तविक नाम हनुमान सिंह पुत्र नंदसिंह है एवं सभी राजकीय अन्य दस्तावेजों में वादी का नाम हनुमान सिंह पुत्र नंदसिंह ही दर्ज रेकार्ड है। वादी का नाम वादग्रस्त आराजी में गोपाल सिंह दर्ज होने एवं अन्य राजकीय दस्तावेजों में नाम हनुमान सिंह पुत्र नंदसिंह दर्ज होने से वादी को अपने खातेदारी की वादग्रस्त आराजी के विकास कार्यों के लिए बैंक एवं अन्य वित्तिय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने एवं अन्य राजकीय सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वादी को उक्त त्रुटि का ज्ञान इस वर्ष अपने नाम उक्त आराजी पर विकास कार्य करवाने हेतु बैंक में संपर्क करने पर उनके द्वारा राजस्व रेकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में नामों में भिन्नता होने की बात कहने एवं राजस्व रेकार्ड में अब तक वादी के राजस्व रेकार्ड में उस का नाम नाबालिग की हैसियत से दर्ज होने की जानकारी होने पर उसके द्वारा हलका पटवारी जी व तहसीलदार साहब से राजस्व रेकार्ड में दर्ज नाबालिग हटाकर बालिग दर्ज करने एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज नाम गोपाल सिंह को हटाकर उसके स्थान पर हनुमान दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र देकर निवेदन करने पर उनके द्वारा नाम में संशोधन कराने हेतु श्रीमान के वहां से आदेशित करवाने हेतु हिदायत देने पर वादी के लिए श्रीमान के न्यायालय [illegible] व नाम दुरस्ती करवाने हेतु वाद पेश करना आवश्यक होने से श्रीमान के न्यायालय में [illegible] आशय की घोषणा की डिक्री जारी करवाने हेतु वाद पत्र पेश किया जा रहा है। यही इस वाद का [illegible] वस्तु एवं वाद कारण है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:39 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी [illegible] पक्ष में निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावें कि–

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

माल ग्राम ठीमली पटवार हलका विनोद खुर्द की खाता सं. नई 15 पुराना 13 की खसरा न. 188 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म चाही तृतीय, खसरा न. 189 की 0.12है. किस्म चाही तृतीय कुल 2 किता की कुल 0.42 हैक्टर आराजी में दर्ज नाम गोपाल सिंह पुत्र नंदसिंह के स्थान पर हनुमान सिंह पुत्र नंदसिंह दर्ज कराने का वादी अधिकारी है, इस आशय की डिक्री वादी के पक्ष में प्रसारित की जावें एवं तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम गोपाल सिंह पुत्र नंदसिंह के स्थान पर हनुमान सिंह पुत्र नंद सिंह दुरस्ती करने के आदेश प्रदान किये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सरकार पैरोकार ने जवाब प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्न प्रकार है–

माल ग्राम ठीमली पटवार हलका विनोद खुर्द की जमाबंदी 2073–76 के खाता सं. नई 15 की खसरा न. 188 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म चाही तृतीय, खसरा न. 189 की 0.12है. किस्म चाही तृतीय कुल 2 किता की कुल 0.42 हैक्टर आराजी नाबालिग गोपाल सिंह पुत्र नंदसिंह संरक्षक वली नंदसिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज रेकार्ड है। ग्राम ठीमाली के ग्रामवासियों से जानकारी चाही जाने पर ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि गोपाल सिंह पुत्र नंदसिंह एवं हनुमान सिंह पुत्र नंदसिंह दोनों एक ही व्यक्ति है तथा इसे दोनों नामों से जाना जाता है।

जवाब सरकार से प्रतीत होता है कि सरकार पैरोकार वाद वादी का स्वीकार करने पर सहमत है। जवाब सरकार ने इकबाली जवाब प्रस्तुत किया है, इस कारण तनकियात कायम करने की आवश्यकता नहीं है। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद को स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली के अवलोकन से मैनें यह पाया कि पत्रावली में जो जवाब सरकार, दस्तावेजात व पक्षकारों के अभिवचनों पर सूक्ष्मतम अवलोकन करने के उपरान्त मैं दावा वादी स्वीकार करना उचित समझती हूँ। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि –

माल ग्राम ठीमली पटवार हलका विनोद खुर्द ... सागीद में खाता सं. नई 15 की खसरा न. 188 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म चाही तृतीय, खसरा न. 189 की 0.12है. किस्म चाही तृतीय कुल 2 किता की कुल 0.42 हैक्टर आराजी को राजस्व रेकार्ड में दर्ज वादी का घर का बोलता बचपन का नाम गोपाल सिंह पुत्र नंदसिंह को दुरस्त करके पहचान के दस्तावेजों अनुसार हनुमन सिंह पुत्र नंदसिंह दुरस्त किया जावें, वादी के नाम के साथ जुडा नाबालिग शब्द हटाया जाकर बालिग दर्ज किया जावें तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त करके राजस्व रेकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

अमल दरामद किया जावें। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

निर्णय आज दिनांक 14.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:39 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 149/2020 तारीख दायरा 17.07.2020

उनवान

हनुमान सिंह उर्फ गोपाल सिंह आयु 23 वर्ष पुत्र नंदसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ठीमली तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादी

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय, सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – प्रतिवादी

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर टी एक्ट</u>

उपस्थित :–

श्री ओम प्रकाश शर्मा (वकील वादी) दिनॉक :– 14.12.2020

सरकार पैरोकार (प्रतिवादी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:39 IST
Reason: SelfAttested

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल [illegible] सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री ओम प्रकाश शर्मा मिन जानिब मुदई रूबरू श्री [illegible]. मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

उपखण्ड अधिकारी
सॉंगोद जिला कोटा

माल ग्राम ठीमली पटवार हलका विनोद खुद तहसील सांगोद में खाता सं. नई 15 की खसरा न. 188 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म चाही तृतीय, खसरा न. 189 की 0.12है. किस्म चाही तृतीय कुल 2 किता की कुल 0.42 हैक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में दर्ज वादी का घर का बोलता बचपन का नाम गोपाल सिंह पुत्र नंदसिंह को दुरस्त करके पहचान के दस्तावेजों अनुसार हनुमन सिंह पुत्र नंदसिंह दुरस्त किया जावें, वादी के नाम के साथ जुडा नाबालिग शब्द हटाया जाकर बालिग दर्ज किया जावें तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त करके राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 14.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(अंजना सहरावत)
सांगोद जिला कोटा
उपखण्ड अधिकारी सांगोद